



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102025-266779
CG-DL-E-08102025-266779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652।

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 652।

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 736(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल अभियोजन संवर्ग (समूह क और ख राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल अभियोजन संवर्ग (समूह क और ख राजपत्रित पद) संशोधन नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय रेल अभियोजन संवर्ग (समूह क और ख राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2022 की, अनुसूची में, सहायक विधि अधिकारी (अभियोजन) के पद से संबंधित, क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ (11) में, उप शीर्षक “प्रोन्नति”, के अधीन,-
 - (क) “छ: वर्ष” शब्दों के स्थान पर “आठ वर्ष” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) विधमान “टिप्पण” को “टिप्पण 1” के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोन्नति हेतु पात्रता सेवा छः वर्ष बनी रहेगी।”

[फा. सं. 2022/ई(जी)आरआर/18/2]

अन्विता सिन्हा, कार्यपालक निदेशक स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड-(i) में सा.का.नि. सं. 518(अ) तारीख 4 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2025

G.S.R. 736(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Railways Prosecution Cadre (Group A and B Gazetted posts) Recruitment Rules, 2022, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Railways Prosecution Cadre (Group A and B Gazetted posts) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways Prosecution Cadre (Group A and B Gazetted posts) Recruitment Rules, 2022, in the Schedule, against serial number 1, relating to the post of Assistant Legal Officer (Prosecution), in column (11), under the sub-heading ‘By Promotion’,-

(a) for the words “six years”, the words “eight years” shall be substituted;

(b) the existing “Note” shall be numbered as “Note 1” thereof and after Note 1 as so numbered, the following Note shall be inserted, namely:-

“Note 2: The eligibility service for promotion shall continue to be six years for persons holding post on regular basis on the date of notification of these rules.”.

[F. No. 2022/E(G)RR/18/2]

ANVITA SINHA, Executive Director Establishment (Gazetted Cadre)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. number. 518(E), dated the 4th July, 2022.